न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 182/2024

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/220

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्री रामपाल पुत्र श्री भंवरलाल निवासी–तेलीवाड़ा,नागौर मैसर्स कन्हैया स्वीट्स होम,नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 12.02.2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी आज स्वयं उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में डॉ. निकिता राठौड़ जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.09.2024 को डेह रोड़,नागौर स्थित मैसर्स कन्हैया स्वीट्स होम नागौर पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री रामपाल पुत्र श्री भंवरलाल निवासी नागौर उपस्थित मिले,जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री रामपाल से घरेलू/व्यवसायिक गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू/व्यवसायिक गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री रामपाल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक सिलेण्डर को मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	781382-T	0
2	एचपीसीएल	9728-S	13 किग्रा
3	एचपीसीएल व्यवसायिक	031277-S	0

कलक्टर नागौर

उपरोक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री अली शेर की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री रामपाल का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

2. अप्रार्थी ने दोराने सुनवाई यह निवेदन किया कि रसद विभाग द्वारा मेरे विरूद्व यह गलत कार्यवाही की हैं। मेरे द्वारा किसी प्रकार के अवैध गैस सिलेण्डर नहीं रखे जाते हैं। रसद विभाग की टीम ने रूटिन जॉच होना बताकर मेरे हस्ताक्षर करवाये हैं। रसद विभाग की इस प्रकार की कार्यवाही से हमारे प्रतिष्ठान की बदनामी हुई हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जब्त सुदा सामग्री उनकी नहीं होना एवं केवल रूटिन जॉच होना बताकर हस्ताक्षर करवाये जाना प्रकट किया हैं,जो मानने योग्य नहीं हैं। क्योंकि फर्द जब्ती पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र भी नहीं हैं। इसलिए जब्त सामग्री राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate)किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

5. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर